



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2840]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद्र 6, 1941

No. 2840]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

का.आ. 3108(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 16 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

तालिका

(1)	(2)	(3)
"16	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 40 [जोरबाट- शिलांग के किमी 0.000 से किमी 61.800 (बारापानी) तक खंड को छोड़कर], सं. 44, [किमी 69.200-किमी 173.200 (जोवाई से मेघालय और असम सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 51 [किमी 85.000 से किमी 95.000 और किमी 101.000 से किमी 145.000 तक खंड को छोड़कर], सं. 62 तथा शिलांग बाइपास [किमी 61.800 (रारा-40) से किमी 34.850 (रारा-44) तक खंड को भी छोड़कर] और नई रारा सं. 127बी के उतने भाग जो मेघालय राज्य में अवस्थित हैं।	मेघालय राज्य सरकार

[फा. सं. एनएच-14013/12/2019-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 382(अ), तारीख 24 जनवरी, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2019

S.O. 3108(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each Highways subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
“16	So much of National Highways No. 40 [excluding from Km. 0.000 to Km. 61.800 of Jorabat-Shillong (Barapani) section], No. 44 [excluding from km. 69.200 to km. 173.200 (Jowai to Meghalaya and Assam Border Section)], No. 51 [excluding from km. 85.000 to km. 95.000 and from km. 101.000 to km. 145.000], No. 62 and also excluding Shillong bypass [from Km. 61.800 (NH-40) to Km. 34.850 (NH-44)] and new NH No. 127B as are situated within the State of Meghalaya.	State Government of Meghalaya”

[F. No. NH-14013/12/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note : The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 382(E), dated the 24th January, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

का.आ. 3109(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3867(अ), दिनांकित 8 दिसंबर, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः—

“127बी	श्रीरामपुर-धुबरी-फुलबारी-असम/मेघालय सीमा (असम राज्य में)	65.17 किमी”
--------	---	-------------

[फा. सं. एनएच-14013/12/2019-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 3867(अ), दिनांकित 8 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

S.O. 3109(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 3867(E), dated the 8th December, 2017, namely:—

In the Table to the said notification, the entries under columns number (1), (2) and (3), the following entries shall be substituted, respectively:—

"127 B	Shrirampur-Dhubri-Fulbari-Assam/ Meghalaya Border (In the State of Assam)	65.17 kms"
--------	---	------------

[F. No. NH-14013/12/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note : The principal notification was published *vide* number S.O. 3867(E), dated the 8th December, 2017.